



स मा चार

स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत ही दिया जाएगा विधानसभा में प्रवेश:
प्रमुख सचिव

दिनांक 17 फरवरी, 2021

22 फरवरी से विधानसभा के प्रस्तावित बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा बैठक विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री ए. पी. सिंह ने ली। इस बैठक में सचिवालय के सदन एवं राजधानी परियोजना से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गए। कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सभा कक्ष सहित पूरे भवन को सेनेटाइज करने और माननीय सदस्यों के कोरोना टेस्ट के इंतजाम किए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव ने दिए।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के व्यापक संक्रमण से बचाव के परिप्रेक्ष्य में सत्रावधि में दर्शक दीर्घा में आम नागरिकों को प्रवेश में प्रतिबंध रहेगा। माननीय सदस्यों के निज सहायक तथा सुरक्षाकर्मी आदि का प्रवेश विधान सभा में वर्जित रहेगा। माननीय मंत्रिगणों की निजी स्थापना से एक व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जायेगा और उसके द्वारा बचाव संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। विधान सभा की कार्यवाही में सम्मिलित होने वाले माननीय सदस्यों के लिए पूर्व सत्र की भांति वीडियो कांफ्रेंसिंग की भी व्यवस्था रहेगी। माननीय सदस्यों के आसनों पर सैनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्यों / अधिकारियों के लिए परिसर में प्रवेश करते समय सांची द्वार के समीप स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सक दल उपस्थित रहेगा। इसी प्रकार अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए विधानसभा के गेट पर यह व्यवस्था रखी गई है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग, राजधानी परियोजना प्रशासन, सुरक्षा एवं सदन से सम्बंधित विधान शाखा, NIC तथा अन्य शाखाओं के अधिकारी उपस्थित थे।

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)
अवर सचिव